राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 2014/2014..... जिला : सिरोही

मैसर्स वीरेन्द्र उद्योग,सिरोही बनाम सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर,सिरोही व अपीलीय अधिकारी,वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री सुनील शर्मा, सदस्य** **आशा कुमारी,सदस्य**	
01.12.2014	अपीलार्थी की ओर से श्री अलकेश शर्मा , अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री जमील जई सिंह उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपीलं मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी"कहा जायेगा) के द्वारा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 20.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त,वाणिज्यिक कर,सिरोही (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.03.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55, 61 व 65 के तहत् निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित किया गया हैं, में विवादित राशि रू. 6,66,113/– में से रू. 1,63,500/– का स्थगन प्रदान करते हुए अवशेष राशि रू. 4,96,466/– पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग राशि की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्रों में स्थगन हेतु आवेदित राशि रू. 6,66,113/– में से रू. 1,63,500/– पर स्थगन प्रदान करते हुए अवशेष राशि रू. 4,96,466/–पर स्थगन प्रदान नहीं करने केक सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है । लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली राशि रू. 4,96,466/– की वसूली पर कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया (आशा कुमारी) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	